

## महत्वपूर्ण / तत्काल / अतिआवश्यक

प0सं0-शोध / जी0एस0टी0 / 2016-17

482 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0 प्र0  
(शोध / जी0एस0टी0 अनुभाग )  
लखनऊ::दिनांक:: 28 दिसम्बर, 2016

**समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर  
ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) / वि0अनु0शा0 / कार्पोरेट सर्किल / टैक्स ऑडिट  
तथा समस्त कर निर्धारण अधिकारी  
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**

आप अवगत है कि प्रदेश में नई करप्रणाली जी0एस0टी0 लागू करने हेतु प्रदेश के पंजीकृत डीलर्स का डाटा जी0एस0टी0एन0 को माइग्रेट किया जा रहा है, तथा इस हेतु उत्तर प्रदेश के व्यापारियों को विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी प्रोविजनल आई0डी तथा पासवर्ड के माध्यम से [www.gst.gov.in](http://www.gst.gov.in) की वेबसाईट पर जाकर अपना नया आई0डी तथा पासवर्ड बनाना है तथा तदोपरान्त आवश्यक वांछित सूचनाएं भरनी है। इस हेतु उत्तर प्रदेश राज्य को दिनांक 16.12.2016 से 31.12.2016 तक का समय आवंटित किया गया है। यह अत्यंत खेद का विषय है कि दिनांक 27.12.2016 तक की उपलब्ध सूचनानुसार प्रदेश के केवल 28098 व्यापारियों द्वारा ही अपना नया आई0डी एवं पासवर्ड बनाया है तथा संपूर्ण सूचनाएं केवल 865 व्यापारियों द्वारा ही भरी गयी है। स्पष्ट है कि अधिकारियों द्वारा इस विषय में गम्भीरतापूर्वक कार्य नहीं किया गया है, तथा अपने अधिक्षेत्र के व्यापारियों को इस संदर्भ में जागरूक नहीं किया है, इस संदर्भ में नियंत्रक अधिकारियों द्वारा भी शिथिलता बरती गयी है। जी0एस0टी0 इनरोलमेन्ट से संबंधित रिपोर्ट MIS on VYAS के अंतर्गत जी0एस0टी0एन0 रिपोर्ट लिंक पर उपलब्ध है।

माइग्रेशन सम्बन्धी यह कार्य पूर्ण करने हेतु दिनांक 31.12.2016 तक का समय आवंटित है तथा इस अवधि में अब केवल 4 कार्यदिवस शेष हैं। अतः यह कार्य युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर पूर्ण करना है। सभी कर निर्धारण अधिकारियों को अलग-अलग कुल उपलब्ध कराये गये प्रोविजनल आई0डी की संख्या तथा अब तक संपूर्ण रूप से भरे गये आवेदनों की संख्या तथा शेष व्यापारियों की संख्या, संलग्न सारणी में उपलब्ध है, **इसी सारणी में प्रत्येक अधिकारी हेतु उनके लक्ष्य भी दिनांकवार निर्धारित किये गये है, ताकि यह कार्य निश्चित समय में पूर्ण हो सकें।** समस्त कर निर्धारण अधिकारी अपने अधिक्षेत्र के समस्त व्यापारियों को सूचना के समस्त तंत्रों का प्रयोग करते हुए इस हेतु प्रेरित करेंगे तथा व्यापारियों को इस प्रक्रिया को पूर्ण करने हेतु सहयोग प्रदान करेंगे। इस हेतु खण्ड कार्यालय में अथवा व्यापारी सुविधा केन्द्र में सेक्टरवार हेल्पडेस्क स्थापित किया जाये, जहां व्यापारियों को पूर्ण सहयोग करते हुए उसकी नयी यूजर आई0डी तथा पासवर्ड आदि बनाने की सुविधा उपलब्ध करायी जाये। ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) तथा ज्वाइण्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) संयुक्त रूप से आवश्यकतानुसार अपने अधिक्षेत्र में अन्य आवश्यक महत्वपूर्ण स्थानों पर उपरोक्त सुविधा उपलब्ध करायें। कार्यालय के अतिरिक्त किसी अन्य महत्वपूर्ण स्थान पर व्यवस्था करने हेतु जोन के वरिष्ठ अधिकारियों को विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये लैपटॉप तथा यू0एस0बी0 डाटा कार्ड का प्रयोग किया जाये। समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्पोरेट) अपने समस्त व्यापारियों का माइग्रेशन का कार्य अधिकतम 2 कार्यदिवसों में कराना सुनिश्चित करेंगे।

ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) प्रत्येक दिन की प्रगति का विवरण प्रत्येक कार्यदिवस के सांय 5:00 बजे तक वाणिज्य कर, मुख्यालय, के जी0एस0टी0 अनुभाग के ई-मेल upctres@gmail.com पर MS-Excel file format में निम्न प्रारूप में उपलब्ध करायेंगे।


संभाग का नाम	संभाग में पेंडिंग इनरोलमेण्ट की संख्या	कितने व्यापारियों से संपर्क किया गया			कार्यदिवस में जनरेट कराये गये नये यूजर आई0डी की कुल संख्या	कार्यदिवस में पूर्ण रूप से भरे गये इनरोलमेण्ट फार्म की संख्या
		कैम्प के माध्यम से	टेलीफोन के माध्यम से	व्यापार संघों के माध्यम से (व्यापार संघों के नाम सहित)		

प्रत्येक ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) तथा ज्वाइण्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) संयुक्त रूप से अपने अधिक्षेत्र के व्यापार विशेष के व्यापारी संघों से संपर्क स्थापित कर इस संदर्भ में उन्हें जागरूक करेंगे, तथा इस संदर्भ में बैनर आदि भी लगवाने की व्यवस्था करेंगे। एडीशनल कमिश्नर द्वारा भी इस कार्य का प्रति दिवस अनुश्रवण किया जाये, तथा आवश्यकतानुसार अन्य विंग यथा वि0अनुशा0, टैक्स ऑडिट में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को इस हेतु प्रयोग किया जाये, तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि उनके अधिक्षेत्र में समस्त व्यापारियों का इनरोलमेण्ट निर्धारित तिथि तक पूर्ण हो जाये।

उपरोक्त कार्य प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि तक पूर्ण कराया जाना प्रत्येक कर निर्धारण अधिकारी तथा उनके नियंत्रक अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी, तथा इस कृत्य में लापरवाही को प्रतिकूल दृष्टिकोण से देखा जायेगा।

**संलग्नक:—उपरोक्तानुसार।**

भवदीय,

  
(मुकेश कुमार मेश्राम)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।